भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1358
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

समुद्री अशांति

1358. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को केरल राज्य के पोन्नानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अरब सागर के किनारे पलप्पेट्टी, अजमेर नगर, वेलियामकोड़े, थन्नीथुरा, पथुमुरी, अरायण कडप्पुरम, सुल्तान वलव, वाडिक्कल, पल्लीवलप्पु, वक्कड़, एडक्कप्पुरम, पुथियाकडप्पुरम, अंचुडी, चीरन कडप्पुरम, चप्पापडी, अलुंगल बीच, परप्पनंगडी में अन्य तटीय स्थानों आदि सहित विभिन्न स्थानों पर समुद्री अशांति की लगातार घटनाओं की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थायी समुद्री दीवार के निर्माण सहित समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या योजना बनाई गई है; और
(ग) क्या सरकार का विचार क्षतिग्रस्त घरों और आजीविका के नुकसान के मुआवजे सहित गरीब मछुआरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष निधि आवंटित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को हाल ही में केरल सरकार द्वारा पोन्नानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में समुद्री अशांति की घटनाओं के बारे में सूचित किया गया है । मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मात्स्यिकी विकास योजनाओं के दायरे में स्टैंडअलोन सी वाल और तटीय सुरक्षा कार्यों का निर्माण शामिल नहीं है । हालाँकि, फिशिंग हारबर्स और फिश लेंडिंग सेन्टर्स के विकास को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत सहायता प्रदान की जाती है और इन सहायता प्रदत्त इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यकता आधारित जल की ओर और थल की ओर की सुविधाएं जैसे ब्रेकवाटर, ट्रेनिंग वाल्स और ग्रॉयन शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आश्रय और शांत बेसिन तैयार करना और खराब मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा करना है । केरल सरकार ने बताया है कि नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसरर्च ने उपयुक्त सुरक्षा पद्धति की पहचान करने के लिए इन उपायों का विस्तृत अध्ययन किया है। यह भी सूचित किया गया है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में बार-बार होने वाली समुद्री उग्रता की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार ने पहले से ही विभिन्न सुरक्षा कार्य शुरू कर दिए हैं जैसे कि संवेदनशील जगहों पर क्षतिग्रस्त सी वाल्स की मरम्मत, तटीय सी वाल्स का रखरखाव कार्य, तटीय सुरक्षा कार्य और जियोबैग का उपयोग करके घरों की सुरक्षा का कार्य ।

(ग) : 15वें वित्त आयोग ने नेशनल डिसासटर रेसपोन्स फ़ंड (एनडीआरएफ) के तहत 2021-26 की अवधि के दौरान कटाव (एरोशन) से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय के दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-03/2020-एनडीएम-I (खंड-II) के अनुसार आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियों के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत राहत प्रदान की जाती है और मात्स्यिकी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक मछुआरों को आजीविका के अवसर जैसे नावों और जालों की रीपलेसमेंट, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसल्स को अपग्रेड करना, डीप सी फिशिंग वेसल्स का अधिग्रहण, वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों जैसे सी वीड कल्चर और बाईवाल्व कल्चर, केज कल्चर, ओर्नमेंटल यूनिट्स, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा कोल्ड-चेन और विपणन सुविधाएं जैसे फिश मार्केट, फिश कियोस्क आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए संचार/ट्रैकिंग उपकरणों, समुद्र-सुरक्षा किट, आजीविका और पोषण संबंधी सहायता भी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है । योजना के तहत मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है। बीमा कवर के अंतर्गत (i) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000 रु/- , (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000 रु/- और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 25,000 रु/- की बीमा कवरेज शामिल है। पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के विगत 4 वर्षों (2020-21 से 2023-24) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने केरल राज्य में मात्स्यिकी विकास और मछुआरों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए केरल सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 1104.04 करोड़ रु/- की लागत से मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय अंश 444.02 करोड़ रु/- है ।

*****